राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामनारायण बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	193/2023	
21/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/05/2026 को पेश हो।	
25/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि गत् खसरा नम्बर 231/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 222 रकबा 86.9400 हैक्टेयर ग्राम लांगडियावास पटवार हल्का लांगडियावास तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त हैं। जो कि आगे वादग्रस्त आराजियात से सम्बोधित हैं। वादग्रस्त आराजी वादी सं. 1 लगायत 4 के पिता एवं वादी सं. 5 के दादा नाथू पुत्र भैरू मीणा को दिनांक 12/04/1973 को नियमन कि भूमि हैं, जिस पर नियमन से पूर्व से वादीगण के हकपूर्वाधिकारी नाथू पुत्र भैरू का कब्जा काश्त चला आ रहा था उसकी मृत्यु के उपरान्त वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। वादी वादग्रस्त आराजियात का नामान्तकरण संख्या 96 दिनांक 12/04/1973. द्वारा गैरखातेदारी का नामान्तकरण नाथू पुत्र भैरू के नाम तस्दीक हुआ। नियमानुसार नामान्तकरण संख्या 267 द्वारा खातेदारी का नामान्तकरण तस्दीक कर दिनांक 05/08/1986 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के खिलाफ वादीगण के पिता/दादा नाथू पुत्र भैरू ने उक्त नामान्तकरण संख्या 267 कि अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितिय जयपुर जिला जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत कि जिस पर दिनांक 11/09/1986 को निर्णय पारीत किया गया कि नामान्तकरण संख्या 267 ग्राम लांगडियावास पर दिनांक 05/08/1986 को नायब तहसीलदार द्वार पारित किया गया आदेश निरस्त किया जाता है नायब तहसीलदार कि लापरवाही से अपीलार्थी को परेशानी हुई हैं इसलिये उसके वेतन में से 50 रू काटते हुए वसूल किये जावे अपीलार्थी को खर्च के रूप में दिलाये जाते है निर्णय कि प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को आगे कार्यवाही हेतु भेजी जावे। उक्त निर्णय कि पालना में नामान्तकरण संख्या 267 पर अतिरिक्त कलेक्टर महोदय द्वितिय जयपुर के निर्णय दिनांक 11/09/1986 एवं आदेश क्रमांक 2851 दिनांक 17/09/1986 के अनुसार दिनांक 05/08/1986 का एनटी का आदेश निरस्त कर दिया गया। विगत कई सालों से बतौर भूमि वादग्रस्त पर वादीगण का विधिक काबिज काश्त हैं। उक्त नामान्तकरण के अनुसार वादीगण के पिता/दादा का नाम राजस्व रिकॉर्ड	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामनारायण बनाम सरकार 193/2023 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में अंकित नहीं किया गया। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि सिवायचक गलत दर्ज थी इसी कारण जयपुर विकास प्राधिकरण के खाते में खातेदारी अंकित कर दी गई। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में गैरखातेदारी नियमानुसार खातेदारी अंकित करने की कार्यवाही करने व राजस्व इन्द्राज करने का दायित्व प्रतिवादी सं. 1 का रहा है. जो कि अबतक खातेदारी अंकित नहीं करना राजस्व विभाग की मूल व चूक चली आ रही हैं। प्रतिवादी सं. 1 ने वादग्रस्त भूमि को गैरखातेदारी से खातेदारी की कार्यवाही राजस्व इन्द्राज नहीं करने की भारी भूल व चूक किया है, जबकि विधिक न्यायिक प्रावधानों अनुसार वादग्रस्त भूमि अर्से दराज पूर्व ही खातेदारी में अंकित हो जानी चाहिए थी। लेकिन प्रतिवादी सं. 1 की भूल व चूक के कारण वादी के विधिक खातेदारी प्राप्त करने के हक अधिकारों पर कुठाराघात नहीं किया जा सकता बल्कि वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध अपने वैधानिक खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी है। वादी अपनी हक हकूक वादग्रस्त आराजियात पर नियमन से पूर्व के समय से स्वयं काबिज काश्त हैं, नियमन, गैरखातेदारी खातेदारी के नामान्तकरण आज दिवस तक निरस्त नहीं किया गया हैं। वादग्रस्त भूमि में वादीगण गत् कई वर्षों से अब तक वैधानिक हक अधिकार के तहत निरन्तर काबिज रहते हुए आ रहा हैं, तथा समय समय पर वादी वादग्रस्त भूमि में अपने हित उपयोगार्थ काश्त करते आये हैं, जिसके वादीगण अधिकारी हैं। भू-राजस्व अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हक अधिकार मालिकाना व हक खातेदारी नियमन बाद खातेदारी इन्द्राज पूर्वतक बहाल हो चुका हैं तथा वादीगण कानूनन उक्त भूमि वादग्रस्त के हक खातेदार काश्तकार अब से पूर्णतक हो चुके हैं लेकिन वादीगण के हित में निर्णय अतिरिक्त कलक्टर द्वितिय के अनुसार नामान्तकरण संख्या 267 कि पालना में खातेदारी इन्द्राज नहीं कर प्रतिवादी सं. 1 ने भारी भूल व चूक किया है, तथा त्रुटीवश वादीगण कि उक्त वादग्रस्त भूमि का अंकन जयपुर विकास प्राधिकरण के खाते में कर दिया गया है जिसका कोई विपरीज प्रभाव वादीगण के हक अधिकारों पर नहीं पडता है। जो कि वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों कि घोषणा जरिये अदालत कराने के विधिक अधिकारी है। विवादित आराजी का वादीगण अपने खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का विधिक अधिकारी हैं, जिसके अनुसार खातेदारी घोषित कराने के वादीगण अधिकारी हैं। वादग्रस्त भूमि के काबिज काश्तकार एवं राजस्व रिकॉर्ड में बतौर नियमन के लम्बे समय के वैधानिक इन्द्राज व हक कब्जे काश्त के बावजूद प्रतिवादी सं. 1 ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अंकित नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामनारायण बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	193/2023	

किया जो कि वादीगंण अपने खातेदारी अधिकार घोषित कराने कि अधिकारी हैं। कानूनी प्रावधानों के तहत वादग्रस्त भूमि की समयावधि बाबत् खातेदारी इन्द्राज अब से पूर्वतक पूर्ण हो चुकि हैं, जो कि विधिक प्रावधानों अनुसार वादीगण हक खातेदारी की विधिक हैसियत रखते हैं। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादीगण को नियमन, गैरखातेदारी एवं खातेदारी के नामान्तकरण से खातेदारी घोषित किया जाना न्यायोचित व विधि सम्मत हैं, जिसके वादीगण विधिक अधिकारी हैं। वादीगण के हक में अंकित नियमन भूमि वादग्रस्त के सम्बन्ध में गैरखातेदारी से खातेदारी इन्द्राज करने हेतू वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को आवेदन पेश किया लेकिन प्रतिवादी सं. 1 के अधिनस्थ पटवारी हल्का ने अपने निजि स्वार्थ में लिप्त रहते हुए वादीगण के हित में खातेदारी इन्द्राज करने से साफ ही इन्कार कर दिया तथा दिनांक 01/03/2021 को प्रतिवादी सं. 1 ने भी वादीगण के हित में खातेदारी की कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया, जिससे वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणार्थ दावा पेश करना आवश्यक हुआ। वादपत्र के अन्त में निवेदन किया कि वाद डिकी किया जाकर ग्राम लांगडियावास पटवार हल्का लांगडियावास में स्थित गत् खसरा नम्बर 231/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 222 में रकबा 0.5691 हैक्टेयर भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार अमल दरामद किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार सरकार एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब वाद पेश किया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 30/12/2022 पारित करते हुये वादी का वाद गुणावगुण के आधार पर अस्वीकार कर ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा सरसरी तौर पर तथ्य अंकित कर डिले कन्डोन का अनुतोष चाहा गया है जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसरण में दिन-प्रतिदिन की देरी का स्पष्ट अंकन किया जाना आवश्यक होता है | ऐसी स्थिति में अपीलार्थी डिले कन्डोन करवाने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामनारायण बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	193/2023	

कानूनन अधिकारी जाहिर नही होते है | गुणावगुण पर उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के अवलोकन उपरान्त सही रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30/12/2022 यथावत रखे जाते है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 25/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर